एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य होने के नाते खातेदारी घोषणा का अनुतोष चाह रहे। प्रतिवादीगण ने ईकबाल दावा पेश कर वादी के कथनो मे अपनी सहमति प्रकट की है एवं वादी के कब्जा को स्वीकार किया है । वादी एवं प्रतिवादीगण के बीच कब्जा को लेकर कोई विरोध नहीं है । उभय पक्ष ने पारिवारिक बंटवारानुसार वाद वादी स्वीकार किये जाने क निवेदन किया है । इस प्रकार वाद वादी अपने वाद पत्र मे दस्तावेजी साक्ष्यों इकबाल कथनो ,बहस एवं अभिकथनों से बखूबी साबित किया है। वाद वादी संख्या 1 स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित है ।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार राजस्व सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि – चक 18 एसडीएस में खाता संख्या 5/4 मे मु.न. 12 का कि.न. 12,13 / 0.506 हैक्टे. कि.न. 14/ 0.063 हैक्टे. कुल 0. 569 हैक्टे., चक 3 एलएलजी मे खाता संख्या 9/9 मे मु.न. 6 का कि.न. 16,17 / 0. 506 हैक्टैयर कि.न. 18/ 0.127 हैक्टे. मु.न. 5 का किला नं. 21/1 मे 0.127 है. मु.न. 8 का कि.न. 3 में 0.063 हैक्टे. कुल 1.392 हैक्टैयर रकबा का वादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार ही वादी संख्या 1 का खाता अलग किया जाकर नाम राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जावे । यदि रकबा बैक रहन है तो बैक ऋण चुकता होने पर एवं निर्धारित स्टाम्प डयूटी पेश होने पर डिक्री की पालना की जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो ।

निर्णय आज दिनांक 8.1.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर न्यायालय मे सुनाया गया ।

8/1/2021

हवाईसिंह यादव (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned with CamScanner